1. **अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कृर्तव्य** :–

इस राज्य में आम जन के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, रोगों से बचाव करने एवं रोगों के उपचार के लिए हानिरहित होम्योपैथिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान कार्यरत है। इस विभाग के अन्तर्गत कुल 255 औषधालय/चिकित्सालय संचालित है। यह विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार नागरिकों को समुचित एवं गुणवत्ता पूर्वक सेवाऐं उपलब्ध कराता है एवं राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप योजनाओं में सहभागिता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मौसमी बीमारियों जैसे स्वाईन फ्लू, डेंगू, कोविड इत्यादि रोगों से बचाव एवं इनके उपचार के लिए कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पल्स पोलियों, क्षय रोग उन्मूलन, मलेरिया रोकथाम आदि योजनाओं में अपनी सहभागिता प्रदान करता है। ग्रामीण आदिवासी जाति/जनजाति व अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में चल–चिकित्सा इकाई द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

2. **अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य** :–

<u>इस विभाग का संगठन</u> :–

होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकरी
	अतिरिक्त निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग

3. **विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मलित है** :–

<u>मुख्यालय की संरचना</u> :–

प्रमुख शासन सचिव
↓
उप/संयुक्त शासन सचिव
↓
निदेशक
↓
अतिरिक्त निदेशक
↓
उप निदेशक (2 पद)
↓
सहायक निदेशक (3 पद)

4. **अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड** :–

होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग आचार संहिता 2011–12

5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :–

नियम :– 1. राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973

2. राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966

3. राजस्थान सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम

4. यात्रा भत्ता नियम

5. सामान्य वित्त एवं लेखा नियम

6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013

6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण :–

(क). विधि शाखा से सम्बंधित पत्रावलियांः– 1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर 3. अधीनस्थ न्यायालय 4. आर.एस.सी.ए.टी जयपुर
उर्पयुक्त माननीय न्यायालयों में इस विभाग से सम्बंधित प्रकरणों/याचिकाएं इत्यादि से सम्बंधित पत्रावलियां

(ख). सामान्य शाखाः– 1. आर.टी.आई. 2. सर्म्पक 3. जनकल्याण 4. जनसूचना 5. भवन सम्बंधी 6. सी.एम.आई.एस 7. निरीक्षण पत्रावली 8. विधानसभा 9. बजट घोषणा सम्बंधी पत्रावली 10. आरोग्य समिति 11. वार्षिक कार्ययोजना 12. टी.एस.पी कैम्पस 13. प्रशिक्षण सम्बंधी इत्यादि।

(ग). प्रतिस्थापन–I :– 1. उच्च अध्य्यन 2. एच.आर.ए 3. कार्य विभाजन 4. आर.टी.आई प्रति I सूचना (राजपत्रित) 5. मासिक वेतन आहरण 6. विभागीय स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद 7. राजपत्रित नियुक्ति रजिस्टर 8. सेवा समाप्ति 9. ए.पी.ओ 10. स्थानान्तरण 11. अवकाश सम्बंधी 12. पासपोर्ट नवीनीकरण/विदेश यात्रा 13. नियमित वेतन श्रृंखला 14. भर्तियों सम्बंधी पत्रावली 15. ए.सी.पी 16. वार्षिक वेतन वृद्धि 17. सेवानिवृत्ति 18. विधानसभा 19. ए.सी.आर 20. वरिष्ठता 21. पदोन्नति 22. कैडर रिव्यु 23. स्थाईकरण 24. सी.सी.एल 25. कार्यव्यवस्थार्थ 26. जाँच

(घ) प्रतिस्थापन– II :– 1. परीक्षा स्वीकृति 2. एच.आर.ए 3. कार्य विभाजन 4. आर.टी.आई प्रति II सूचना (अराजपत्रित) 5. मासिक वेतन आहरण 6. विभागीय स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद 7. अराजपत्रित नियुक्ति रजिस्टर 8. सेवा समाप्ति 9. ए.पी.ओ 10. स्थानान्तरण 11. अवकाश सम्बंधी 12. नियमित वेतन श्रृंखला 13. भर्तियों सम्बंधी पत्रावली 14. ए.सी.पी 15. वार्षिक वेतन वृद्धि 16. सेवानिवृत्ति 17. विधानसभा 18. ए.सी.आर 19. वरिष्ठता 20. पदोन्नति 21. कैडर रिव्यु 22. स्थाईकरण 23. सी.सी.एल 24. कार्यव्यवस्थार्थ 25. जाँच इत्यादि।

(ड) स्टोर शाखाः– 1. औषध क्रय (आयुष बजट) 2. औषध क्रय (राज्य बजट) 3. ग्लोब्यूल्स क्रय (राज्य बजट) 4. सैण्ड्रीज क्रय (राज्य बजट) 5. सुरक्षा गार्ड 6. मोबाईल वैन ड्राईवर 7. किराया वाहन 8.

साफ–सफाई पत्रावली 9. टोनर रिफलिंग 10. विविध बिल फाईल 11. उपकरण औजार 12. स्टेशनरी फाईल इत्यादी ।

(च) लेखा शाखाः– 1. बी.एफ.सी. फाईल 2. एक्सिस सेविंग 3. विनयोग लेखा 4. मासिक प्रगति रिपोर्ट 5. महालेखाकार अंक मिलान 6. निष्पादन आय–व्यय 7. कैश बुक तैयार करना 8. पी.डी. से सम्बंधित समस्त कार्य 9. प्लान सीलिंग तैयार करना 10 आयकर से सम्बंधित कार्य 11. प्री–चैक से सम्बंधित 12. समस्त प्रकार के बिल तैयार करना(टी.ए, मेडिकल, एफ.वी.सी, वेतन) 13. टी.एस.पी और एस.सी, एस.पी क्षेत्रों से सम्बंधित एम.पी.आर इत्यादि।

(छ) सांख्यिकी शाखाः– 1. मासिक आयुष रिपोर्ट 2. सांख्यिकी सार पोर्टल 3. सांख्यिकी रूपरेखा 4.' आयुष मंत्रालय भारत सरकार रिर्पोटिंग 5.' वार्षिक रोगी गोस्वारा 6. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 7. आर्थिक समिक्षा 8. विविध पत्रावलीयां इत्यादि।

7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :–

नीति निर्धारण के सम्बंध में जनता या जन प्रतिनिधि को परामर्श दिऐ जाने का कोई प्रावधान नियमानुसार नहीं है। नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देशानुसर समितियों में सदस्यों के रूप में लिऐ जाने की व्यवस्था दी गई है।

8. ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारें में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण :–

Not applicable

9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :–

निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मोबाईल न.

क्रं.सं.	कार्मिक नाम	मोबाईल नम्बर
1	डॉ. रेनू बंसल (निदेशक)	9868819653
2	डॉ. मनीषा सक्सैना (अतिरिक्त निदेशक)	9829154663
3	डॉ. नमीता राजवंशी (उप निदेशक)	9414443311
4	डॉ. प्रदीप कुमार मिश्रा (उप निदेशक)	9414870809
5	डॉ. मधुबाला जैफ (सहायक निदेशक)	9413236095
6	डॉ. वत्सना कसाना (सहायक निदेशक)	9414357985
7	डॉ. दिनेश चौधरी (सहायक निदेशक)	9414250715
8	डॉ. आकांक्षा खरोर (कानूनी चिकित्सक)	9414298472
9	डॉ. ज्ञानेन्द्र माथुर (कानूनी चिकित्सक)	9571642435
10	डॉ. अदिति कपूर (औषधि निरीक्षक/डिपो इन्चार्ज)	9928648467

11	डॉ. अनिता मीणा (औषधि निरीक्षक)	9460923893
12	श्रीमती शान्ती देवी (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।)	9413477006
13	श्रीमती सपना मीणा (सहायक सांख्यिकी अधिकारी)	9950424309
14	श्री रमेश बुनकर (कनि. विधि अधिकारी)	9887251818
15	श्री चन्द्रमोहन मीणा (कनिष्ठ लेखाधिकारी)	9571191511
16	श्रीमती मंजू देवी (कनिष्ठ लेखाधिकारी)	9001413177
17	श्री दुर्गेश चतुर्वेदी (वरिष्ठ सहायक)	8952837959
18	श्री चन्द्रशेखर शर्मा (वरिष्ठ सहायक)	9667889914
19	श्री गणपत लाल (वरिष्ठ सहायक)	9314615286
20	श्री मोहन कुमावत (वरिष्ठ सहायक)	9166381360
21	श्री नितेश शर्मा (कनिष्ठ सहायक)	9145897387
22	श्री सौरभ शर्मा (कनिष्ठ सहायक)	9414236042
23	श्री अभिषेक शर्मा (कनिष्ठ सहायक)	7689853631
24	श्री प्रशान्त महला (कनिष्ठ सहायक)	6377707088
25	श्री सुभाष चन्द्र यादव (कनिष्ठ सहायक)	8385864602
26	श्री रमेश चन्द्र शर्मा (रिटायर्ड कम्पा.)	9414887716
27	श्री सत्यनारायण माली (रिटायर्ड स.प्रशा.अधिकारी)	9928408436
28	श्री नरेश बागड़ी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	9785956473
29	श्री बबलू गुर्जर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)	*7296952782*
30	श्री उमेश कुमार (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	9057271492
31	श्री राजेन्द्र कुमार (कम्प्यूटर ऑपरेटर)	9782172655

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो :–

Not Applicable

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट :–

State Budget:– राशि 5215.1 (लाखों में)

12. सहायिका कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है :–

Not Applicable

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां :–

Not Applicable

14- किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो:– https://www.facebook.com/pages/category/Medical-Service/Homoeopathic-Chikitsa-Vibhag-Rajasthan-143570615851317/

आयुष एप्प :– प्रपोस्ड

15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है :–

सम्पर्क समय :– दोपहर 3 से 4 बजे तक कार्यदिवस में

16. लोकसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां :–

होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकरी
	डॉ. नमीता राजवंशी उप निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग मोबाईल नं 9414443311	डॉ. मनीषा सक्सैना अतिरिक्त निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग मोबाईल नं 9829154663	डॉ. रेनू बंसल निदेशक होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग मोबाईल नं 9868819653

17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा :–

सूचना प्राप्त करने के संबंध में:–

आवेदक के द्वारा लिखित में सक्षम अधिकरी (लोक सूचना अधिकारी) के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं शुल्क के रूप में धारा/6 की उक्त धारा (1) के तहत रू. 10 नकद/डी.डी/बैंकर्स चैक ''लोक सूचना अधिकारी निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग जयपुर'' को देय के राजकोष में जमा करवाना होगा।

सूचना देने के लिए धारा/7 की उक्त धारा (1) के तहत निम्न प्रकार से शुल्क देय होगा।

(क) प्रति पृष्ठ (A x 4 अथवा A x 3) रू. 2 मात्र

(ख) बड़ी साईज के लिए शुल्क व्यय की गई कीमत के बराबर

(ग) सैम्पल अथवा मॉडल का वास्तविक मूल्य।

केवल रिकॉर्ड देखने के लिए प्रथम घण्टा कोई शुल्क नहीं, तत्पश्चात रू. 5 प्रति 15 मिनट के हिसाब से देय होगा।

धारा/7 की उप धारा (5 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से शुल्क होगा)

(क) फ्लॉपी में सूचना लेने के लिए– 50 रू. प्रति फ्लॉपी

(ख) प्रिंटेड कापी के लिए– 2 रू. प्रति पृष्ठ

सूचना न देने एवं अपील करने के सम्बंध में।

निश्चित समय सीमा में सूचना प्राप्त ना होने या सूचना से असहमत होने की स्थिति में 30 दिवस के अन्दर की समय सीमा में या सूचना मिलने के समय से 30 दिवस में उच्च अपील अधिकारी बिन्दु संख्या 16 के अनुसार को अपील कर सकेंगें।

निदेशालय, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग राजस्थान, जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर–26, एन.आर.आई. सर्किल, प्रतापनगर, जयपुर

फोन नं. 0141– 2796630 मेल– asstdir1-homoeo-raj@nic.in

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2021–22

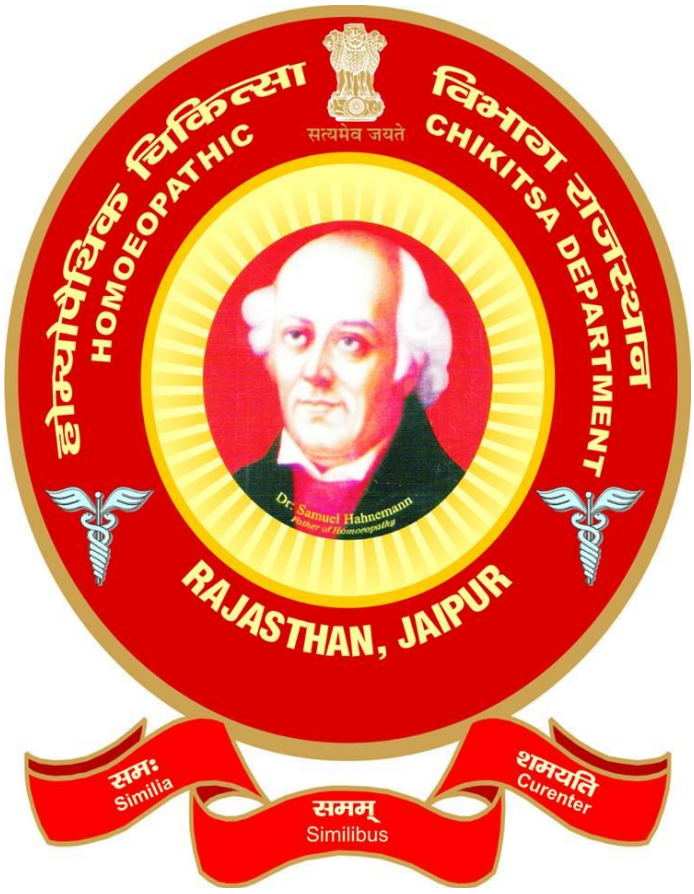

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2021–22

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की दिन प्रतिदिन बढती लोकप्रियता एंव इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, राजस्थान सरकार ने पृथक से 2010 में होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग स्थापित किया। इसका निदेशालय **''आयुष भवन''** प्रतापनगर, जयपुर में संचालित हैं।

क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बडे राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियां एवं वातावरण के होते हुए भी राज्य सरकार सतत् प्रयासरत हैं कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। इस दिशा में राज्य सरकार आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सर्वागींण विकास हेतु निरन्तर प्रयासरत् है। इसी दिशा में बजट सत्र वर्ष 2010–11 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा होम्यापैथिक के विकास हेतु पृथक निदेशालय की घोषणा की गयी। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 25 (2) आयु/2009 दिनांक 21.06.2010 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2010 से निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग स्वतंत्र रूप से संचालित हैं।

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग अपने शैशव काल से ही समग्र रूप से होम्योपैथी के विकास एंव जनसाधारण को होम्योपैथी द्वारा स्वास्थ्य लाभ हेतु लोकप्रिय बनाने तथा जनचेतना जाग्रत करने के लिए प्रयासरत् है, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्र के साथ–साथ ग्रामीण एंव दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले नागरिकों तक भी होम्योपैथी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सके।

प्रभावी नियत्रंण, प्रशासनिक व नीतिगत निर्देशों के विधिवत् पालन एवं विकास व स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेशस्तर पर निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग जयपुर में स्थापित हैं। इस विभाग के अन्तर्गत 6 चिकित्सालय, 186 औषधालय एवं 02 मोबाईल यूनिट एवं 61 एकल होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई जिला सामान्य चिकित्सालय/सी.एच.सी./पी.एच.सी परिसरकुल (कुल 255 चिकित्सालय/औषधालय) में संचालित है।

उक्त चिकित्सालय/औषधालय/एकल होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई पर राज्य सरकार द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा की निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध करवायी जा रही है। इस विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के कुल 303 पद स्वीकृत है।(जिसमें से 296 चिकित्सालयों/औषधालयों/पी.एच.सी एवं सी.एच.सी पर एवं 7 पद निदेशालय में प्रशासनिक स्तर पर) विभागान्तर्गत कार्यरत चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने पूरे मनोयोग से राष्ट्रीय महत्व के कार्यो में भी सक्रिय सहयोग प्रदान कर परिणामोन्मुखी क्रियान्वति करते हैं। विभाग का उद्देश्य नागरिकों को उच्च स्तरीय होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा रोगों से बचाव व उपचार दोनों पर ध्यान केन्द्रित करना हैं। इस सन्दर्भ में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभागान्तर्गत चिकित्सालयों/औषधालयों के माध्यम से निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविरों के आयोजन किये जाते हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति–एक परिचय

होम्योपैथी एक जीवन दर्शन है जो कि डा. सेम्युअल हैनीमैन द्वारा अविष्कृत है। यह एक सुदृढ चिकित्सा विज्ञान है, जिसका मूल सिद्धांत Similia Similibus Curantur (Let Likes be treated by likes) है। अर्थात् स्वस्थ व्यक्ति को अपरिष्कृत औषधि के सेवन पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन्हीं लक्षणों वाले मरीज को यदि वह औषधि दे तो रोग के लक्षण दूर हो जाते है और वह रोगी स्वस्थ हो जाता है।

रोगी को निरोग करना ही मात्र चिकित्सा नहीं है अपितु यह एक आरोग्यता प्रदान करने की ऐसी एक मात्र चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वस्थ मनुष्य पर परीक्षण कर औषध प्रमाणन किया जाता है

इस प्रकार होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को सदृश्य विधान चिकित्सा, हानि रहित, स्थायी, निरापद एवं पूर्ण चिकित्सा है जो रोग उपचार के साथ–साथ रोग निरोधक क्षमता को भी सुदृढ. करती है एवं वायरस जनित रोगों के बचाव में भी महत्वपूर्ण रूप से कार्य करती है। अधिकतम असाध्य रोगों में होम्योपैथी उपचार नये विकल्प के रूप में उभर रहा है।

होम्योपैथी उपचारात्मक क्षमता के कुछ विशिष्ट क्षेत्रः–

एलर्जी, रोग प्रतिरोधकता, त्वचा, स्त्री रोग, किडनी संबंधित, नेत्र, नाक,कान,गला, दांत, पक्षाघात, मानसिक विकार, विकलांगता, वंशानुगत विकार, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और विषाणु संक्रमणों के उपचार के लिये विशेष रूप से लाभदायक है।

प्रशासनिक संरचना

माननीय मंत्री,
आयुष विभाग
↓
शासन सचिव,
आयुष विभाग
↓
शासन उप सचिव,
आयुष विभाग
↓
निदेशक (01 पद)
↓
अतिरिक्त निदेशक (01 पद)
↓
उपनिदेशक (02 पद)
↓
सहायक निदेशक (03 पद)

प्रभावी नियंत्रण, प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्देशों की विधिवत पालना सुनिश्चित करने एवं चिकित्सा विकास योजनाओं का भली–भॉति क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारियों के निम्न पद स्वीकृत किये गये हैं।

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

विभागान्तर्गत स्वीकृत राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का विवरण (31–12–2021 तक)

राजपत्रित पद–

क्र.सं	पद नाम	पे–लेवल	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निदेशक	L-21	1	1	0
2	अतिरिक्त निदेशक	L-19	1	1	0
3	उपनिदेशक	L-16	2	2	0
4	सहायक निदेशक	L-15	3	3	0
5	प्रधान होम्योपैथी चिकित्साधिकारी	L-19	06	0	6
6	वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्साधिकारी ग्रेड–I	L-16	25	21	4
7	वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्साधिकारी ग्रेड–II	L-15	91	42	49
8	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	L-14	174	174	0
9	औषध निरीक्षक	L-14	2	2	0
10	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	L-14	1	1	0
कुल राजपत्रित			306	247	59

नोटः– 02 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कार्यरत है।

अराजपत्रित पद–

क्र.सं	पद नाम	पे–लेवल	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	L-11	1	0	1
2	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	L-11	1	1	0
3	कनिष्ठ लेखाकार	L-10	3	2	1
4	अति. प्रशासनिक अधिकारी	L-11	1	1	0
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	L-10	2	2	0
6	वरिष्ठ निजी सहायक	L-11	1	0	1
7	वरिष्ठ नर्स/कम्पा.	L-11	52	2	50
8	कनिष्ठ नर्स/कम्पा.	L-10	160	157	3
9	शीघ्र लिपिक	L-10	2	0	2
10	कनिष्ठ विधि अधिकारी	L-10	1	1	0
11	वरिष्ठ सहायक	L-8	4	4	0
12	कनिष्ठ सहायक	L-5	6	5	1
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1	109	47	62
कुल अराजपत्रित			**343**	**222**	**121**

नोटः– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 46 आयुर्वेद विभाग से कार्यव्यवस्थार्थ कार्यरत एवं 01 कार्मिक निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग द्वारा नियुक्त।

विभाग के प्रमुख कार्य –

होम्योपैथी विभाग का मुख्य कार्य होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से रोगियों को लाभान्वित करना है, जिनका विवरण निम्नानुसार है –

1. लाभान्वित रोगी संख्या

विभागीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों के माध्यम से रोगियों का परीक्षण कर रोगों का निदान किया जाकर निःशुल्क औषधि वितरण तथा परामर्श प्रदान किया जाता हैं। संचालित औषधालयों/ चिकित्सालयों द्वारा उपचारित रोगीयों की संख्या का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं।

वर्ष	नवीन रोगी *	पुरातन रोगी *	योग
2018–19	1578210	12200585	13778795
2019–20	1611976	12578753	14190729
2020–21	1010084	7782564	8792648
2021–22 (दिस. 21 तक)	1024444	7169549	8193993

2. औषध क्रय एवं वितरण

राज्य में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सा केन्द्रों या चिकित्सालय/औषधालय हेतु औषधियॉ सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–2 के नियम 30 के अनुलग्नक ''क'' की मद संख्या (xiv) (ख) के अनुसार भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना के डाइरेक्टर जनरल द्वारा स्वीकृत दरों पर क्रय की जाती हैं एवं सी.एस.एस. योजना अन्तर्गत अत्यावश्यक औषधियाँ केन्द्र सरकार से अनुमोदित राजकीय उपक्रम, को–ओपरेटिव राजकीय संस्थान आदि से क्रय कि जाती हैं। क्रय औषधियों के भण्डारण एंव वितरण हेतु राजकीय होम्योपैथिक डिपो, आयुष भवन प्रतापनगर जयपुर में स्थित है। प्रत्येक औषधालय/चिकित्सालय को औषध बजट आवंटन वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर होता हैं।

विभागीय औषधालयों एंव चिकित्सालयों को होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु आवंटित एवं व्यय की राशि का वर्षवार विवरण :– (राशि लाख रूपये में)

वर्ष	आवंटित बजट	व्यय
2018–19	80.00	0.90
2019–20	80.00	77.74
2020–21	80.00	76.61
2021–22 (दिस. 21 तक)	80.00	0.58

प्रतिवेदित वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां –

- कैडर रिव्यू के आधार पर 27 सहायक निदेशक (होम्योपैथी)/वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्साधिकारी ग्रेड–II को उप निदेशक (होम्योपैथी)/वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्साधिकारी ग्रेड–I के पद पर पदौन्नति दी गई है।
- निरोगी राजस्थान अभियान अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग द्वारा सभी जिलो में संचालित होम्योपैथिक औषधालयों/चिकित्सालयों पर अनियमित जीवनशैली एवं दिनचर्या से जूडे रोगों के उपचार हेतु स्पेशल क्लीनिक प्रारम्भ किए गए।
- विभाग द्वारा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों एवं नर्स/कम्पा0 के लिये समयबद्ध आमुखीकरण/पुर्नआमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्र में उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 25 कैम्प आयोजित कर कुल 6693 रोगियों को उपचारित/लाभांवित किया गया।
- प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2021–22 के अन्तर्गत विभाग द्वारा कुल 518 कैम्प आयोजित कर कुल 36248 रोगियों को उपचारित/लाभांवित किया गया।
- दिनांक 10.04.2021 को एक दिवसीय हैनीमैन जयन्ती आयोजित कर, कैम्प में 10305 रोगियों को उपचारित/लाभांवित किया गया।

कोरोना प्रबंधन हेतु किये गये निर्णय/नवाचार व अर्जित उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरणः–

- कोरोना आपदा से राहत हेतु वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर 2021 तक कुल 606460 इम्यूनिटी बूस्टर किट का वितरण किया।
- पोस्ट कोविड जनित संवृति रोग के बचाव व उपचार हेतु प्रचार–प्रसार करने के साथ सम्बन्धित बीमारियों जिसमें पोस्ट कोविड मेन्टल इलनेस, पोस्ट कोविड हार्ट प्रोबलम, पोस्ट कोविड डाइबिटिज, पोस्ट कोविड कफ तथा पोस्ट कोविड अबडोमिनल एलिमेन्टस हेतु स्पेशल ओ.पी.डी. चलाई जा रही है। तथा कुल 21403 रोगियों को स्पेशल ओ.पी.डी. द्वारा लाभान्वित किया गया।
- कोविड–19 की द्वितीय लहर के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ऑन–लाईन परामर्श हेतु होम्योपैथिक चिकित्सा सैल का गठन किया जा कर होम्योपैथिक चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई जिसके अन्तर्ग्त कुल 13145 रोगियों को परामर्श दिया गया।
- कोविड़ की तीसरी लहर की संभावनाओं के मध्येनजर माननीय मुख्यमंत्री/मंत्री महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2022 से कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव अभियान हेतु स्कूल जाने वाले बच्चों/गरीब एवं कच्ची बस्तियों/कोविड़ टीकें से वंचित लोगो को प्राथमिकता से इम्यूनिटी बूस्टर दवाई का वितरण किये जाने हेतु शिक्षा कार्मिक, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम. व आंगनबाडी कार्यकताओं इत्यादि की कोविड से बचाव संबंधी जानकारी एवं औषध वितरण में सहयोग लेने हेतु विभागीय समस्त चिकित्सालयों/औषधालयों को विभागीय आदेश जारी कर निर्देशित किया गया है।
- विभाग के समस्त चिकित्साधिकारी एवं नर्स/कंपाउण्डर कोविड–19 में अपनी नियमित सेवाएं दे रहे है।

विभाग के क्रियाकलाप, कार्यक्रम एवं योजनाऐं–

चिकित्सा सुविधा

क्रंसं	होम्यापैथिक चिकित्सालय/औषधालय	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	चिकित्सालय	0	6	6
2	औषधालय	78	108	186
3	मोबाईल यूनिट	2	0	2
	योग	80	114	194

एकल होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई जो जिला सामान्य चिकित्सालय/सी.एच.सी./पी.एच.सी परिसर में संचालित है की संख्या–

क्रंसं	जिला सामान्य चिकित्सालय/सी.एच.सी./ पी.एच.सी	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	जिला सामान्य चिकित्सालय परिसर	0	5	5
2	सी.एच.सी. परिसर	24	10	34
3	पी.एच.सी परिसर	15	7	22
	योग एकल चिकित्सक	39	22	61

विभागान्तर्गत संचालित होम्यापैथिक चिकित्सा केन्द्रों एवं कुल जिला चिकित्सालय/सी.एच.सी./पी.एच.सी पर स्वीकृत एकल चिकित्सकों की संभागवार/जिलेवार संख्या–

क्र. सं.	संभाग	जिला	चिकित्सालय	औषधालय	मो.यूनिट	योग	एकल चिकित्सक का पद स्वीकृत वाले सी.एच.सी. /पी.एच.सी. की संख्या
1	जयपुर	जयपुर	0	25	1	26	11
2		झुंझुनू	1	4	0	5	1
3		सीकर	0	8	0	8	6
4		दौसा	0	3	0	3	2
5		अलवर	0	9	0	9	5
6	भरतपुर	भरतपुर	0	13	0	13	1
7		धौलपुर	0	4	0	4	1
8		करौली	0	5	0	5	1
9		सवाई माधोपुर	0	2	0	2	0
10	जोधपुर	जोधपुर	1	3	0	4	3
11		बाडमेर	0	4	0	4	0
12		जैसलमेर	0	1	0	1	0
13		पाली	1	6	0	7	2
14		सिरोही	0	4	0	4	1
15		जालौर	0	4	0	4	0
16	बीकानेर	बीकानेर	0	9	0	9	2
17		चूरू	0	6	0	6	3
18		हनुमानगढ	0	3	0	3	2
19		श्रीगंगानगर	0	3	0	3	2
20	अजमेर	अजमेर	2	6	0	8	2
21		भीलवाडा	0	6	0	6	2
22		नागौर	0	7	0	7	2
23		टोंक	0	4	0	4	2
24	कोटा	कोटा	1	6	0	7	2
25		बूंदी	0	5	0	5	2
26		झालावाड	0	8	0	8	0
27		बांरा	0	4	0	4	2
28	उदयपुर	उदयपुर	0	6	1	7	1
29		बांसवाडा	0	7	0	7	1
30		चित्तौडगढ	0	3	0	3	0
31		डूंगरपुर	0	3	0	3	0
32		प्रतापगढ	0	1	0	1	1
33		राजसमंद	0	3	0	3	1
34	बीकानेर हाउस नई दिल्ली		0	1	0	1	0
योग			6	186	2	194	61

नोट– वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुरलीपुरा जयपुर में नवीन होम्यापैथिक औषधालय स्वीकृत किया गया।

वित्तीय प्रावधान

होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से दिनांक 01.04.2011 से बजट आवंटन किया जाना प्रारम्भ किया गया हैं। राज्य सरकार द्वारा विभागीय बजट प्रावधान निम्न प्रकार रखे गये हैं

(राशि लाखों में):–

वर्ष	बजट प्रावधान			
	स्कीम	प्रतिबद्ध	केन्द्रीय सहायता	योग
2018–19	1838.40	2713.08	0.00	4551.48
2019–20	1711.36	2512.67	0.00	4224.03
2020–21	1808.75	2430.76	0.00	4239.51
2021–22 (दिस. 21 तक)	2069.42	2726.43	0.00	4795.85

अन्य कार्यक्रम

1. आरोग्य दिवस :–

होम्योपैथी केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं अपितु एक जीवन दर्शन हैं। यह वह विज्ञान हैं, जिस के मूलभूत सिद्धान्तों का सही रूप से पालन करते हुए पूर्ण आयु को प्राप्त कर सकता हैं। आज पूरा विश्व इस चिकित्सा पद्धति की ओर अग्रसर हो रहा हैं। राजस्थान में इस पद्धति का प्रभावी सेवाओं व सिद्धान्तों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी विभागीय चिकित्सालयों/औषधालयों में प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार को आरोग्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा हैं।

इस अवसर पर आयोजित बैठक में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाती हैं:–

- मौसमी बीमारियों की रोकथाम के उपायों की जानकारी देना, टीकाकरण की उपयोगिता समझाना।
- क्षेत्र में पायी जाने वाली स्थानीय वनस्पतियों की जानकारी व उपयोगिता बताना।
- आहार, विहार, व्यायाम आदि के लाभों की जानकारी व उपयोगिता बताना।
- जल शुद्धि व वातावरण की स्वच्छता के उपाय व लाभ बताना।
- औषधालय द्वारा किये गये कार्यो की जानकारी देना व सुधार हेतु सुझाव आमंन्त्रित करना।
- परिवार कल्याण व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जन सहाभागिता सुनिश्चित करना।
- लिंग भेद, व बालिकाओं के महत्व को समझाना।

2. **होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर तथा प्रदर्शनियाँ** :–

जन–साधारण को स्वस्थ्य रहने के खानपान के नियमों से अवगत कराने, विभिन्न रोगों से बचाव व रोग की अवस्था में उसके समुचित उपचार की जानकारी देने तथा रोग से पीड़ित व्यक्ति, जाति, जनजाति आयोजना के अन्तर्गत चिकित्सा शिविरो का आयोजन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में किया गया हैं।

3. **मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण** :–

समय–समय पर मौसमी बीमारियों का प्रकोप रहता हैं, होम्यापैथिक चिकित्सा पद्धति में वाइरस जनित रोगों पर नियन्त्रण हेतु कारगर इलाज हैं। अतः बदलते मौसम जैसे वर्षा ऋतु जनित रोगों, अत्याधिक गर्मी एंव सर्दी के मौसम में वाइरस जनित रोगों मीजल्स, मम्स, वाइरल फीवर, खॉसी, जुकाम आदि रोगों पर नियन्त्रण हेतु विभागीय चिकित्साधिकारियों द्वारा समय–समय पर कारगर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

4. पोषण माह समारोह –

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसर चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह दिनांक 01–30 सितम्बर 2021 तक आयोजित किया जाकर मातृत्व एवं शिशु कल्याण पोषण पर अधिकतम जानकारी एवं प्रेरणा का प्रचार–प्रसार किया गया।

आर्थिक अनुदान

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड को वेतन भत्ते का शतप्रतिशत एवं अन्य व्यय का 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर दिया जाता हैं विगत चार वर्षो में राज्य बजट के अन्तर्गत दिये गये अनुदान का विवरण निम्न प्रकार हैं।

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड जयपुर (राशि लाखों में)				
वर्ष	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
अनुदान राशि	25.00	13.48	0.00	0.00

राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों को अनुदान दिये जाने हेतु इस विभाग के अनुदान नियम राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये है। इस विभाग के अनुदान नियम अनुमोदित होने के पश्चात निजी क्षेत्र में संचालित होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों को अनुदान दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहभागिता

- विभागीय चिकित्सकों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु सहयोग दिया जाता हैं। आने वाले सात वर्षो में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर (I.M.R./I.U.G.R.) में 50 प्रतिशत तक कमी करने की सहभागिता निभाने का उदेश्य हैं।
- महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी एवं पोषण के बारे में शिक्षित करना एवं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के बारे में शिक्षित करना।
- स्वस्थ्य जीवन शैली के लिये प्रेरित करना।
- जनसंख्या नियंत्रण, लिंग अनुपात नियंत्रण, डेमोग्राफिक सतुंलन को बनाये रखने के लिये प्रेरित करना।
- प्राथमिक उपचार की पुरानी पद्धतियों को नई पद्धतियों के साथ समन्वय कर, आयुष का सशक्तिकरण करना।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा में लाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में निम्नांकित कार्यवाही की गयी हैं:–

- एक छत योजनान्तर्गत अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसे पल्स पोलियो, टीकाकरण, परिवार कल्याण आदि में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता हैं।

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड जयपुर

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.05.1970 के द्वारा किया गया। वर्तमान में बोर्ड के मुख्य कार्य होम्योपैथिक चिकित्सको के पंजीयन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रमाणीकरण, सत्यापन, अतिरिक्त योग्यता का अंकन, इन्टर्नशिप के लिये अस्थाई पंजीयन करना है। बोर्ड द्वारा इन्टर्नशिप कर रहे छात्रों की कॉलेजों में इन्टर्नशिप की अवधि के दौरान छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर राज्य में कार्यरत होम्योपैथिक कॉलेजों का निरीक्षण किया जा रहा है। पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सको का पता परिवर्तन एवं परिचय पत्र बनाने का कार्य भी 30.01.2020 से शुरू किया गया है जिससे कोविड जैसी बीमारियों के दौरान सभी होम्योपैथिक चिकित्सको का योगदान प्राप्त करने मे सुविधा हो सके।

बोर्ड द्वारा दिसम्बर 2021 तक कुल 9126 होम्योपैथिक चिकित्सकों के एवं 5564 इन्टर्नशिप छात्रों के अस्थाई पंजियन किये जा चुके है। इस बोर्ड की एक वेबसाईट registrarrbhm.org बनी हुई है। जिसके द्वारा चिकित्सक अपने पंजीयन, नवीनीकरण ऑन लाईन माध्यम से कर सकता है तथा बोर्ड के अधिनियम व नियम की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्या 1) एवं संशोधन अधिनियम, 2017 में विहित प्रावधानान्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्सको के पंजियन/नवीनीकरण व अन्य शुल्क में दिनांक 30.01.2020 से वृद्धि की गई है।

राज्य में होम्योपैथिक शिक्षण संस्थान

राजकीय होम्योपैथिक विश्वविद्यालयः–

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020–21 के बिन्दु संख्या–29 के अनुसार नवीन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, केकडी अजमेर एवं जोधपुर की स्थापना की घोषणा की गई।
- कॉलेज खोले जाने से पूर्व एन.सी.एच. (National commission for Homoeopathy) के नियमों के अनुसार डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महाविद्यालय जोधपुर एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी, अजमेर से सम्बद्ध हॉस्पिटल सुचारू रूप से संचालित हो रहे है।
- माननीय आयुष मंत्री महोदय के कर–कमलो द्वारा दिनांक 25.10.2021 को राजकीय होम्योपैथी महाविद्यालय केकड़ी अजमेर का शिलान्यास किया गया।

होम्योपैथिक विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रः–

राज्य में निजी क्षेत्र की भारत की प्रथम होम्योपैथिक युनिवर्सिटी की स्थापना 2 अप्रैल 2010 को डिग्गी रोड सायपुरा जयपुर में की गई। उपर्युक्त विश्वविद्यालय डॉ. एम.पी के होम्यो. मेडिकल कॉलेज व रिसर्च सेन्टर सोसायटी द्वारा संचालित किया जा रहा हैं।

होम्योपैथिक महाविद्यालय :–

राज्य में दस होम्योपैथिक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो अलग–अलग विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध है। इन महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.एच.डी उपाधि पाठयक्रम संचालित हैं।

क्र.स.	नाम महाविद्यालय	फोन नम्बर	प्रवेश क्षमता	
			स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	डॉ. मदन प्रताप खूटेटा होम्यो. मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल, जयपुर।	0141–2367559 2364661, 62	100	34
2.	युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल.होम्यो मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल, अलवर।	0141–2730013	75	–
3.	भारतीय होम्यो. मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, भरतपुर।	05644–223372	40	–
4.	स्वास्थ्य कल्याण होम्यो. मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, जयपुर।	0141–2771778	100	25
5.	मांगी लाल निर्वाण होम्यो. मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, बीकानेर।	0151–2970006	75	15
6.	जे.आर.टाटिया चेरिटेबल ट्रस्ट गंगानगर होम्यो. मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, गंगानगर।	0154–2494025	100	23
7.	राजस्थान विद्यापीठ होम्यो. मेडिकल कॉलेज (डीम्ड युनिवर्सिटी),डबोक, उदयपुर	0294–2655975	75	–
8.	''फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस'' ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर।	01428–287427	60	–
9.	माधव होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, माधव हिल्स, सिरोही	–	100	–
10.	आरोग्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नायला, जयपुर	9116656101	60	–
योग			785	97

विभागीय दूरभाष नम्बर

पद नाम	दूरभाष
1. निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर	फोन नम्बर–0141- 2796630
2. रजिस्ट्रार, होम्योपैथिक चिकित्सा मंडल, जयपुर	फोन नम्बर–0141-2780353